



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234978
CG-DL-E-08042022-234978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1607]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944

No. 1607]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1690(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. अधिसूचना संख्या 3038 (अ) तारीख 29.07.2021 और और अधिसूचना संख्या 2065 (अ) तारीख 28.05.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के जालंधर जिले में जालंधर रिंग रोड (जालंधर बाईपास) के कि.मी. 15.5 से कि.मी. 23.5 (डीसी ऑफिस जालंधर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या 3038 (अ) को द ट्रिब्यून (अंग्रेजी) और जगबनी (पंजाबी) तारीख 03.08.2021 और अधिसूचना संख्या 2065 (अ) को द ट्रिब्यून (अंग्रेजी) और पंजाबी ट्रिब्यून (पंजाबी) तारीख 02.06.2021 में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के जालंधर जिले में जालंधर रिंग रोड (जालंधर बाईपास) के कि.मी. 15.5 से कि.मी. 23.5 (डीसी ऑफिस जालंधर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: जालंधर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जालंधर – I				
	गांव का नाम: चांदपुर (195)				
1	14//27	निजी	गैर कृषि	0.0303	दयाल सिन् एँस्/ओ बेन्टा सिन् एँस्/ओ हरनाम सिन् (14//27)
2	220/1	अन्य (ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0202	मुस्तर्का मलकाना (220/2)
	गांव का नाम: मीरानपुर (261)				
3	3//13	निजी	कृषि	0.0051	बलवीर सिंह- सुरिंदर सिंह - सीतल सों इन्दर 138646/940485 हिस्सा & अन्य (3//13)

4	4//24/1	निजी	कृषि	0.0025	4//24/1- महिंदर सिंह सों करतार सिंह सों अमर सिंह 3/110 शेयर & अन्य (4//24)
			कुल	0.0581	

[फा. सं. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1690(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 3038 (E) dated 29.07.2021 & S.O. No. 2065 (E) dated 28.05.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Jalandhar Ring Road (Jalandhar Bypass) on the stretch of land from Km. 15.5 to Km. 23.5 (DC Office Jalandhar) in the district of JALANDHAR in the state of PUNJAB;

And whereas the substance of the said notification has been published notification no 3038 (E) in The Tribune (English) & Jagbani (Punjabi) on 03-08-2021 and notification no 2065 (E) in The Tribune (English) & Punjabi Tribune (Punjabi) on 02-06-2021 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Jalandhar Ring Road (Jalandhar Bypass) in the stretch of land from from Km. 15.5 to Km. 23.5 (DC Office Jalandhar) in the district of JALANDHAR in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB		District: JALANDHAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jalandhar - I				
	Village: Chandpur (195)				
1	14//27	Private	Non Agriculture	0.0303	Dayal Singh S/o Banta Singh s/o Harnam Singh 14//27
2	220/1	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0202	Mustarka Malkana 220/2
	Village: Miranpur (261)				
3	3//13	Private	Agriculture	0.0051	Balveer Singh- Surinder Singh - Sital Son Inder 138646/940485 Hissa & others 3//13
4	4//24/1	Private	Agriculture	0.0025	4//24/1- Mahinder Singh Son Kartar Singh Son Amar Singh 3/110 share & any 4//24
			TOTAL	0.0581	

[F. No. PD/PIU-JAL/JALANDHAR RING ROAD/241/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director